विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-26/17

मेसर्स ताप्ती ऑटो सर्विसींग सेंटर — आवेदक
प्रो. सतेन्द्र सिंह कीर,
गिट्टी खदान के पास,
जिला–बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर म.प्र

आदेश

(दिनांक 18.09.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0372817 मेसर्स ताप्ती ऑटो सर्विसींग सेंटर, बुरहानपुर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर में पारित आदेश दिनांक 17.06.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–26/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 28.08.2017 को सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित रहा तथा अनावेदक की ओर से श्री सुनील कुमार खैरवार, कनिष्ठ यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

04 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि वे हाईकोर्ट, जबलपुर में किसी अन्य प्रकरण में उपस्थित होने के कारण विद्युत लोकपाल कोर्ट में सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण कोई अन्य तिथि देने का अनुरोध किया गया।

05 अनावेदक से प्रकरण के बारे में पूछने पर उनके द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के परिसर में मीटर ऊंचाई पर लगे होने के कारण मीटर रीडर द्वारा रीडिंग नहीं ली होगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2016 में खपत 4631 यूनिट आने पर आवेदक को रूपये 47256/– का देयक जारी किया गया। अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा अधिक खपत पर आपत्ति लिये जाने पर परिसर से दिनांक 24.12.2016 को मीटर निकाल कर परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में मीटर की एक सील ब्रोकन होना तथा मीटर के धीमे चलना बताया गया।

06 अनावेदक से पूछा गया कि प्रकरण में 135 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों की जा रही है, इस पर उनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि मीटर ऊंचाई पर किसने लगाया तथा समय–समय पर मीटर की रीडिंग क्यों नहीं ली गई, इस पर भी उनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया।

07 अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार निम्न जानकारी सुनवाई की अगली तिथि में अनावेदक कार्यपालन यंत्री, बुरहानुपर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें–

अ आवेदक के परिसर में कनेक्शन के समय स्थापित मीटर की प्रारंभिक रीडिंग एवं माह नवंबर 2014 से नवंबर 2015 तक की मीटर डायरी एवं बिलिंग स्टेटमेंट।

ब आवेदक को जो इकट्ठी रीडंग का बिल दिया गया है उसको संशोधित कब किया गया, संशोधित बिल की प्रति।

स आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर का परीक्षण किस आरएसएस मीटर से किया गया, उसका केलिब्रेशन कब और किस प्रयोगशाला से कराया गया उसका सर्टिफिकेट।

द पुराना मीटर किस दिनांक को तथा किस रीडिंग पर कब निकाला गया। नया मीटर किस प्रारंभिक रीडिंग पर लगाया गया। नये मीटर लगाने के बाद की खपत एवं बिलिंग स्टेटमेंट।

द जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2017 के मीटर की फोटो जिसमें रीडिंग साफ दिखाई दे रही हो।

08 दिनांक 13.9.2017 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री बी.एच. अंसारी, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री आमिर कुरैशी, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

09 अनावेदक द्वारा दिनांक 28.8.2017 को चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई।

10 अनावेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में अपील के मुख्य बिन्दुओं पर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के प्रारंभ में अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा अधिक खपत की आपत्ती लेने पर मीटर परीक्षण हेतु दिनांक 24.12.2016 को निकाला गया। परीक्षण में पाया गया कि मीटर 10.0 एम्पीयर लोड पर मीटर को आरएसएस के साथ टेस्ट करने पर पाया गया कि आरआरएस के 5.0 यूनिट चलाने पर मीटर 3.2 युनिट चल रहा है तथा की एक सील ब्रोकन है। मीटर का काउन्टर खराब एवं तिरछा है। मीटर की टीबी जली है। टीबी स्कु मेल्ट है एवं मीटर की पल्स इंडीगेशन लाईट बंद है तथा आवेदक का मीटर स्लो पाया गया। अतः आवेदक विद्युत देयकों में किसी प्रकार का समायोजन पाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त आधार पर आवेदक पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। (ओई–1)

11 प्रकरण के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा मीटर परीक्षण के उपरांत पाई गई त्रुटियों के विरूद्ध 9 माह बीत जाने के बाद भी आवेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत नहीं की गई । आवेदक द्वारा उपभोक्ता फोरम में दर्ज शिकायत के प्रतिउत्तर में भी अनावेदक द्वारा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, केवल

सुनवाई के दौरान अपने तर्क में अनावेदक द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उनके द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 135 के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है जिसको कि फोरम द्वारा संज्ञान में लेकर आवेदक की शिकायत बिना गुणदोष के परीक्षण किये शिकायत निरस्त कर दी गई, जो कि नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं था। अतः आज की स्थिति में अनावेदक का यह कहना कि आवेदक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जा रही है यह उपभोक्ता को प्रताड़ित एवं विद्युत लोकपाल के सम्मुख प्रकरण को खारिज किये जाने की दृष्टि से किया जा रहा है। (ओई–3)

12 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा एक विद्युत कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी के उपयोग हेतु मेसर्स ताप्ती ऑटो सर्विसींग सेन्टर के नाम से दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 8 फीट की ऊॅचाई पर स्थापित किया गया था, जिसका कि उल्लेख मीटर डायरी में किया गया है। (ओई–2)

13 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2015 से 368 यूनिट का औसत बिल किया गया जो कि मई 2016 तक जारी रखा। जबकि नवंबर 2015 में मीटर में रीडिंग 19808 यूनिट पर दर्ज थी। (ओई–2) जून 2016 में रीडिंग लेने पर मीटर रीडिंग 2796 दर्ज हुई। उक्त खपत के बिल में से दिसंबर 2015 से मई 2016 के बीच की गई औसत बिलिंग को घटाकर कुल 588 यूनिटा का बिल जारी किया गया।

14 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनका मीटर ऊंचाई पर लगा होने के कारण अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 तक मीटर वाचक द्वारा गलत रीडिंग ली गई एवं अक्टूबर 2016 में उन्हें 4631 यूनिट का बिल रूपये 47256/– दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मीटर तेज चलने की शिकायत करने पर उक्त मीटर परीक्षण हेतु 30040 रीडिंग पर दिनांक 9.11.2016 को निकाला गया तथा नया मीटर उसी दिनांक को प्रारंभिक रीडिंग 05 पर लगाया गया। (ओई–4)

15 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा अपनी भूल स्वीकार करते हुए अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2016 में कुल औसत यूनिट 1544 के आधार पर बिल पुनरीक्षित किया गया। (ओई–5)

16 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत उनके पूर्व वर्षों की खपत फरवरी 2013 से का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उनके यहॉ औसतन 300 यूनिट (ओई–6) से कभी भी ज्यादा खपत नहीं हुई। आवेदक का यह भी तर्क था कि उनका विद्युत मीटर पोल पर ऊंचाई पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही स्थापित किया गया था तथा मीटर वाचक द्वारा नियमित रूप से मीटर की रीडिंग नहीं ली गई तथा मीटर परीक्षण में त्रुटि अथवा क्षति पाई गई है वह निश्चित तौर पर मीटर ऊंचाई पर लगाये जाने के कारण हुई है इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं है।

17 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.18 के प्रावधान के अुनसार मीटर का परीक्षण उपभोक्ता के सामने किया जाना है तथा मीटर का परीक्षण करने से पूर्व उपभोक्ता को सूचित किया जाना है कि मीटर का परीक्षण अमुक दिनांक को किया जाएगा। जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रावधान का अनुसरण नहीं किया गया।

18 आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार यदि पूर्व में मीटर की विवादित खपत से किसी बात के निर्णय लेने में असमंजस हैं तब नये

मीटर लगाने के पश्चात तीन माह में दर्ज खपत के अनुसार बिल संशोधित किया जाना चाहिए। परन्तु अनावेदक द्वारा बिल संशोधित नहीं किया गया ।

19 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि फोरम द्वारा प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 जो विधिक प्रावधान में उल्लेखित कंडिका अनुसार फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं है। माननीय फोरम ने इस विधिक बिन्दु को नहीं समझ कर गंभीर भूल की है कि जो बाते प्रतिअपीलार्थी ने उसके जबावदाबे में उल्लेख ही नहीं किया है वह बाते माननीय फोरम ने अपने आलौच्य आदेश में उल्लेख किया है जो कि विधि विरूद्ध होने से मान्य किए जाने योग्य नहीं है। माननीय फोरम द्वारा अपीलार्थी के साथ पक्षपात करते हुए विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। क्योंकि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बनाया जाता तो निश्चित तौर पर प्रतिअपीलार्थी द्वारा विवादित अवधि की बिलिंग को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः फोरम द्वारा प्रकरण धारा 135 के अंतर्गत मानकर गंभीर भूल की है।

20 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा अधिक खपत की आपत्ती लेने पर मीटर परीक्षण हेतु दिनांक 24.12.2016 को निकाला गया। परीक्षण में पाया गया कि मीटर 10.0 एमियर लोड पर मीटर को आरएसएस के साथ टेस्ट करने पर पाया गया कि आरआरएस के 5.0 यूनिट चलाने पर मीटर 3.2 युनिट चल रहा है तथा की एक सील ब्रोकन है। मीटर का काउन्टर खराब एवं तिरछा है। मीटर की टीबी जली है। टीबी स्कु मेल्ट है एवं मीटर की पल्स इंडीगेशन लाईट बंद है। उपरोक्त आधार पर आवेदक का मीटर स्लो पाया गया। अतः आवेदक विद्युत देयकों में किसी प्रकार का समायोजन पाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त आधार पर आवेदक पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। (ओई–1)

21 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा मांग की गई है कि माह जून 2016 से जनवरी 2017 तक विद्युत देयक पुनरीक्षित किये जावे। उपरोक्त तारतम्य में अवगत कराया गया कि आवेदक को माह जून 2017 में 2796 यूनिट का देयक जारी किया। आवेदक को पूर्व माह दिसंबर 2015 से मई 2016 तक मीटर रीडिंग न दिखने के कारण 368 यूनिट औसत यूनिट के देयक जारी किये । अतः माह जून 2017 से 2796 यूनिट के देयक में से 2208 यूनिट कम कर मात्र 588 यूनिट कादेयक जारी किया गया।

22 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का मीटर ऊंचाई पर होने के कारण रीडिंग लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। माह अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 तक मीटर वाचक द्वारा गलत रीडिंग लेने के कारण जारी विद्युत देयकों को पुनरीक्षित कर राशि रूपये 19096/– का समायोजन फरवरी 2017 के देयक में किया गया। अतः माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि माननीय फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 372817 में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया गया जो कि उचित है, क्योंकि आवेदक का मीटर परीक्षण में आरएसएस के साथ टेस्ट करने पर पाया गया कि आरआरएस के 5.0 यूनिट चलाने पर मीटर 3.2 यूनिट चल रहा है तथा मीटर की एक सील ब्रोकन है। मीटर का काउन्टर खराब एवं तिरछा है। मीटर की टीबी जली है। टीबी स्कु मेल्ट है एवं मीटर की पल्स इंडीगेशन लाईट बंद है। उपरोक्त आधार पर आवेदक का मीटर स्लो पाया गया । अतः आवेदक विद्युत देयकों में किसी प्रकार का समायोजन पाने का अधिकारी नहीं है, साथ ही उपरोक्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदक पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

23 **उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं सुनवाई के दौरान दिये गये तर्कों के आधार पर निम्न तथ्य सम्मुख आये–**

अ आवेदक के सर्विसिंग सेन्टर को गैर घरेलू श्रेणी में कनेक्शन दिया गया।

ब फरवरी 2013 से प्रस्तुत मीटर डायरी की छायाप्रति के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर में प्रतिमाह औसत खपत 300 यूनिट के आस–पास नवंबर 2015 तक होती रही।

स मीटर रीडिंग डायरी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक का मीटर अंधेर में 8 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया था। मीटर वाचक द्वारा मीटर रीडिंग नहीं लेने पर आवेदक को दिसंबर 2015 से मई 2016 तक 368 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत के आधार पर बिल दिया गया। जबकि नवंबर 2015 में आवेदक के मीटर में रीडिंग के अनुसार बिल दिया गया। नवंबर 2015 में मीटर रीडिंग 19808 थी।

द जून 2016 में रीडिंग लीने पर रीडिंग 22604 पाई गई जिसके अनुसार उन्हें 2796 यूनिट की खपत दर्ज होना पाई गई। इसके उपरांत जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2016 के माहों में अनियमित मीटर रीडिंग क्रमशः 519, 1268, 1017 एवं 4631 पाई गई।

च आवेदक की शिकायत पर मीटर परीक्षण हेतु दिनांक 9.11.2016 को निकाला गया तथा दिनांक 24.12.2016 को मीटर का परीक्षण किया गया।

छ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मीटर आवेदक की उपस्थिति में नहीं निकाला गया और ना ही आवेदक को मीटर परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक के लिए कोई नोटिस दिया गया जिससे आवेदक परीक्षण के समय उपस्थित नहीं हो सका।

ज उपरोक्त मीटर रीडिंग 30040 पर दिनांक 9.11.2016 को निकाला गया जबकि मीटर डायरी में नवंबर 2016 में एवं दिसंबर 2016 में क्रमशः रीडिंग 289 एवं 32390 दर्शाते हुए क्रमशः खपत 1250 एवं 1101 यूनिट दर्शाई गई। इससे स्पष्ट है कि नवंबर एवं दिसंबर 2016 में भी मीटर वाचक द्वारा मनगढ़ंत रीडिंग एवं खपत दर्शाई गई।

24 उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के यहॉ मीटर ऊंचाई पर लगा होने के कारण नियमित रूप से मीटर की रीडिंग नहीं ली गई तथा अपनी मर्जी से मीटर वाचक द्वारा रीडिंग दर्शाई जाती रही।

25 यद्यपि अनावेदक द्वारा दिसंबर 2015 से मई 2016 तक की गई औसत खपत का समायोजन जून 2016 में किया जाकर आवेदक को दिया जा चुका है एवं इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2016 में दर्ज खपत को गलत मानते हुए 1544 यूनिट औसत यूनिट प्रतिमाह की दर से बिल संशोधित कर आवश्यक समायोजन दिया जा चुका है। (ओई–7)

26 दिनांक 9.11.2016 को नया मीटर लगाने के पश्चात आवेदक के यहॉ औसत खपत लगभग प्रतिमाह 300 यूनिट दर्ज होना पाया गया जो कि फरवरी 2013 से नवंबर 2015 तक दर्ज खपत से मेल खाता है।(ओई–8)

27 उपरोक्तानुसार प्रकरण में निर्णय लेने से पूर्व विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.18 एवं कंडिका 8.35(बी) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

8.18 मापयन्त्र (मीटर) के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी ताकि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सके। यदि परीक्षण के समय उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तो परीक्षण परिणाम–पत्रक (test result sheet) पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाएंगे।

8.35 (बी) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है,

28 उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि –

ए अनावेदक को मीटर का परीक्षण करने से पूर्व आवेदक को 7 दिन का नोटिस देकर प्रस्तावित दिनांक की सूचना दी जानी थी एवं परीक्षण आवेदक के सम्मुख कर परीक्षण प्रपत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए थे। परन्तु अनावेदक द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रपत्र विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

बी प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मीटर वाचन में घोर लापरवाही की गई। यहॉ तक कि विवादित मीटर को परीक्षण हेतु निकाले जाने के बाद भी माह नवंबर एवं दिसंबर 2016 में मनगढ़ंत रीडिंग बनाकर खपत दर्शाई गई जो कि अनावेदक की ''सेवा में कमी'' को दर्शाता है, जिसके लिए आवेदक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि प्रकरण से संबंधित मीटर का निराकरण अनावेदक द्वारा निश्चित मापदण्ड एवं प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में विवादित मीटर को बदलने के पश्चात जो विद्युत खपत दर्ज हुई है, उसके आधार पर म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35(बी) के प्रावधान अनुसार संशोधित की जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से जून 2016 से दिसंबर 2016 तक की अवधि के बिलों को नये मीटर लगाने के पश्चात दर्ज खपत के औसत के आधार पर बिल संशोधित किया जाए।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ माह जनवरी 2017 से अगस्त 2017 तक की अवधि में दर्ज खपत की औसत खपत के आधार पर जून 2016 से दिसंबर 2016 के विद्युत देयकों को पुनरीक्षित किया जाए।

ब इस अवधि में यदि आवेदक द्वारा अधिक राशि जमा की गई हो तो उसका समायोजन अगले विद्युत देयकों में किया जाए।

स फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

द उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

29 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल